[श्री रामकृष्ण गुप्त]

करे रहा है और स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन भी अलग काम कर रही है। इस से भी काफी दिक्कत आती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना ट्रेड का काम किया जाता है, उस तमाम को को-आर्डिनेट किया जायगा वह एस० टी० सी० के द्वारा किया जायगा।

इस के अलावा मैं कोई नई बात नहीं कहना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि नैक्स्ट यीअर जो रिपोर्ट पेश की जायगी, वो पिक्चर हाउस के सामने रखी जायगी, वह इस साल से और भी ज्यादा बेहतर होगी, जैसे कि इस साल की रिपोर्ट पिछले साल से ज्यादा अच्छी है।

Mr. Chairman: The question is:

"That this House takes note of the Second Annual Report of the State Trading Corporation of India Limited for the period ending the 30th June, 1958, laid on the Table of the House on the 29th April, 1959."

The motion was adopted.

14.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTIETH REPORT

Mr. Chairman: The House will now take up Private Members' Bills.

Shri Ram Krishan Gupta (Mahendragarh): I beg to move:

"That this House agrees with the Fiftieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th September, 1959."

Mr. Chairman: The question is:

"That this House agrees with the Fiftieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th September, 1959."

The motion was adopted.

14.30½ hrs.

MIRZAPUR STONE MAHAL (AMENDMENT) BILL—*contd.*

(AMENDMENT OF SECTION 3) BY SHRI RAGHUNATH SINGH—*contd.*

Mr. Chairman: The House will now resume further consideration of the following motion moved by Shri Raghunath on the 28th August, 1959:

"That the Bill further to amend the Mirzapur Stone Mahal Act, 1886 be taken into consideration."

Out of one hour allotted for the discussion of the Bill, one minute has already been taken on the 28th August, 1959 and 59 minutes are now available for further discussion today. Shri Raghunath Singh may continue his speech.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): सभापति महोदय, यह एक बहुत पुराना सेंट्रल कानून है, जो १८८६ में पास हुआ था। जैसा कि सब को मालूम है, मिर्जापुर प्राचीन काल से ही पत्थर के कारोबार में अग्रणी रहा है। हिन्दुस्तान में चार पांच प्रकार के पत्थर होते हैं, जैसे सफ़ेद पत्थर, काला पत्थर, भूरा पत्थर और लाल पत्थर वगैरह। यह कानून स्टोन के सम्बन्ध में है, लेकिन स्टोन क्या पदार्थ है और मिर्जापुर में किस प्रकार का स्टोन होता है, इस एक्ट में इस की कहीं परिभाषा नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि भारतीय संविधान के सातवें शिड्यूल की २३वीं एन्ट्री के अनुसार यह अब स्टेट सबजेक्ट हो गया है और स्टेट्स को इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मैं ने इस विधेयक को यहां इसलिए उपस्थित किया था कि चूंकि यह सेंट्रल एक्ट है, अतएव इस संसद् को यह अधिकार प्राप्त है कि यह इस संशोधन को